उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 260–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2023–18/14 टी0सी0–। दिनांकः 19 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं० 1200– काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 19–14–काविनी/87 (एमएफ) दिनांक 16.10.2021 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता आधारित चयन में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया विषयक परिषदादेश सं० 1327–काविनी/राविप–29/96–14–काविनी/87 दिनांक 11.07.1996 सपठित आदेश सं० 21–काविनी–(29)/पाकालि/06–14–काविनी/87 (टीसी) दिनांक 09.01.2006 के प्रस्तर–2 (शीर्षक 'चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना') में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त निम्नवत् प्राविधानों को भी सम्मिलित किया गया है :–

"(अ) उक्त के साथ निम्नांकित परिस्थितियों में भी कार्मिक "अनुपयुक्त" की श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेगें :–

(1) आलोच्य अवधि में 3 अथवा 3 से अधिक वृहद दण्ड प्राप्त होने पर।

(2) चयन वर्ष के ठीक पूर्व के चयन वर्ष में किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।

(3) चयन वर्ष में चयन किये जाने की तिथि तक यदि किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।

(ब) चयन सम्पन्न हो जाने के पश्चात् वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति हेतु अर्ह होने की तिथि तक यदि किसी प्रकरण में वृहद दण्ड मिल जाता है तो उक्त कार्मिक को उस चयन वर्ष में जिसके अन्तर्गत वह चयनित किया गया है, प्रोन्नत नहीं किया जायेगा एवं उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।"

2. उपर्युक्त प्राविधान चयन वर्ष–2021–22 से प्रभावी होंगे तथा पूर्व में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न 90वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारेपोरशन लि0 के आमेलित अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु Methods & Procedure लागू करने के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1200–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/19–14–काविनी/87(एमएफ) दिनांक 16.10.2021 को एतद्द्वारा अंगीकृत करते हुए आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के आमेलित अराजपत्रित कार्मिकों के सन्दर्भ में यथावत् लागू/प्रभावी होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या– 260(i)–पारे0अनु0–04/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

कमशः–02

6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

8- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

10- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।

11- उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

12- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।

13- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कर्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।

14- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

15- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)